



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2127, वर्ष 2026

मोन् यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार (गण)

—

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : इंद्र प्रताप सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय

अधिवक्ता

—

न्यायालय संख्या - 13

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया ।

2. इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक—जो केस क्राइम संख्या 618 वर्ष 2025, धारा 69, 351(3), 352, 64(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, पुलिस थाना - इनायतनगर, जिला - अयोध्या में संलिप्त है—विचारण के दौरान जमानत पर रिहाई की माँग कर रहा है।

3. दिनांक 25.12.2025 को धारा 69, 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और जाँच के बाद, प्राथमिकी में उल्लिखित धाराओं तथा धारा 64(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत आरोप-पत्र दायर किया गया है; जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने शादी का झूठा वादा करके शिकायतकर्ता की लज्जा भंग की, और उसका शोषण करने के बाद, छह साल तक रिश्ते में रहने के बावजूद उससे शादी करने से मना कर दिया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि निवेदक का यह एक स्वीकृत प्रकरण है कि पिछले छह वर्षों से आवेदक के साथ उसका संबंध था और धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में उसने यह कहा है कि दिसंबर माह में आवेदक ने बलपूर्वक उसकी लज्जा भंग की, किंतु उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण करवाने से मना कर दिया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने मुखबिर के साथ छह साल की लंबी अवधि तक शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का कोई झूठा वादा कभी नहीं किया था; इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि यह शारीरिक संबंध केवल शादी के कथित वादे के कारण ही था। अपने इस निवेदन के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय पर भरोसा जताया है जो **समाधान सीताराम मनमोथे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य** के वाद में दिया गया था और जो **ऐ.आई.आर ऑनलाइन 2025 एस सी 1099** में प्रकाशित हुआ है।

6. इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और उसे प्रस्तुत वाद में झूठा फंसाया गया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़ोरदार ढंग से ज़मानत की अर्जी का विरोध किया है और प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया है कि मुखबिर/पीड़िता द्वारा दिया गया बयान आवेदक के विरुद्ध है, जिससे उसके विरुद्ध एक मामला बनता है; और धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज अपने बयान में, उसने कहा है कि वह आज भी आवेदक से शादी करने के लिए तैयार है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और वाद के अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मुखबिर/पीड़िता के कथनानुसार, वह आवेदक के साथ पिछले छह वर्षों से लंबे समय तक संबंध में थी; और स्पष्ट रूप से, यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध आवेदक द्वारा उससे विवाह करने के कथित वादे के कारण स्थापित हुआ था। अतः, यह एक ऐसा उपयुक्त प्रकरण है जिसमें आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. तदनुसार, वर्तमान जमानत अर्जी **स्वीकार** की जाती है।

10. आवेदक **मोनू यादव** को उपरोक्त केस क्राइम संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी अनुबंध और उतनी ही राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने प्रकट करने से रोका जा सके, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, या तो स्वयं उपस्थित रहेगा या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तब सुनवाई स्थगित करने की माँग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज कराने के लिए निर्धारित तिथियों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

12. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

मार्च 25, 2026

एस. कुमार

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।